

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/लेखा/जी.एस.टी./2017-18/

भोपाल, दिनांक .12.2017

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

तकनीकी कार्यालय.....

विषय :- जी.एस.टी. पंजीयन एवं जी.एस.टी. लागू होने के दिनांक से निर्माण कार्यों की रोक गई राशि के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत सनदी लेखापाल से प्राप्त अभिमत एवं म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

01. ऐसे सप्लायर तथा वेंडर जो अपने दायकों में जी.एस.टी. का प्रावधान करते हैं उन्हें बोर्ड मुख्यालय का जी.एस.टी.नंबर 23AAAJM0765E1ZJ अवगत कराया जाए। इसके संबंध में सनदी लेखापाल का अभिमत निम्नानुसार है :

"As enquired that the division offices are asking for GST number to be given to supplies/vendor who charges GST from the Board. In our opinion the GST number of Board can be provided to all division offices functioning under the Board. If the divisional offices are providing taxable services then details be provided.

02. म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग के शाप क्रमांक/एफ-58/15/2017/19/यो/5601 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दिनांक 01.07.2017 के पश्चात् निर्माण कार्यों के लिए किए जा रहे भुगतान में VAT TAX या GST या दोनों नाम से राशि की कटौती न की जावे। विभिन्न निर्माण कार्यों के रनिंग बिलों में दिनांक 01.07.2017 के पश्चात् इसके लिए रांकी गई राशि का भुगतान संबंधित को किया जाए।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

राजी/-
(राजेश सिंह कौरव)

अपर संचालक(वित्त)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 .12.2017

क्रमांक/लेखा/जी.एस.टी./2017-18/ 1021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. प्रमुख अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

02. संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,.....

03. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.....जिला.....

अपर संचालक(वित्त)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : २६-५८/१५/२०१७/१९/मौ ५६०

भोपाल, दिनांक ३०/१०/२०१७

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल
2. परियोजना संचालक,
पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, भोपाल
3. सगस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
4. सगस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक,
पी.आई.यू. लो.नि.वि.

विषय:- जी.एस.टी. लागू होने के बाद ठेकेदारों के रनिंग देयकों में से कटौती बाबत ।

दिनांक 24.10.2017 को मा० मंत्रीजी द्वारा की गई विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त कई कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ठेकेदारों के रनिंग देयकों में से ग्रेट टैक्स अथवा जी.एस.टी. या दोनों के नाम से राशि की कटौती की जाकर विविध डिपॉजिट मद में रखी जा रही है ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग देयकों में से ग्रेट अथवा जी.एस.टी. के मद में कोई राशि रोकी न जाये एवं जी.एस.टी. लागू होने के बाद के देयकों में से यदि कोई राशि रोकी गई हो तो उसे यथाशीघ्र रितीज कर दिया जाये ।


उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाये ।

Prakash
30/10/2017
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग

पृ० क्रमांक : २६-५८/१५/२०१७/१९/मौ/५६०२ भोपाल, दिनांक ३०/१०/२०१७

- प्रतिलिपि:-
1. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल कार्यालय, मध्यप्रदेश.
 2. सगस्त संयुक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
 3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश
 4. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

Prakash
30/10/2017
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग



SECC
CEEP
03/11/2017
06/11/17
website
upload